भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

संख्या 16/26/2012–प्रशासन

दिनांक 27.05.2022.

सेवा में,

निदेशक/प्रभारी निदेशक
आईसीएमआर के सभी केंद्र/संस्थान

विषयः– कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ अनुवादक के पदों के नामकरण के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

आईसीएमआर हिंदी संवर्ग नियम, 2018 के केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग को अपनाने के परिणामस्वरूप, आईसीएमआर के हिंदी सवंर्ग के निम्नलिखित पदों के नामकरण तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार लागू होंगे।

| क्रम संख्या | वर्तमान पदनाम | संशोधित पदनाम | वेतन स्तर 7वें वेतन आयोग से |
|---|---|---|---|
| 1 | कनिष्ठ अनुवादक | कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी | लेवल–6 |
| 2 | वरिष्ठ अनुवादक | वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी | लेवल–7 |

भविष्य में हिंदी संवर्ग के अनुवादकों के रिक्त पदों के विज्ञापनों में नए नाम का ही प्रयोग किया जाएगा ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(जगदीश राजेश)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक/अपरमहानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. सभी प्रभाग प्रमुख
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहा.महानिदेशक (प्रशा.)/ सहा.महानिदेशक (वित्त)
4. सहायक निदेशक (रा.भा.)
5. डॉ. एल के शर्मा, वैज्ञानिक–ई–इसकी **सॉफ्ट** कापी वेबसाइट अपलोड के लिए आपकी ईमेल आई डी (sharma.lk@icmr.gov.in) पर भेज दी गई है ।

अनुराधा मित्रा
सचिव
ANURADHA MITRA
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अ.शा. सं. 16/24/2018-रा.भा. (सेवा) दिनांक: 27 सितम्बर, 2019

प्रिय सचिव जी,

आपको विदित होगा कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2008-आईसी दिनांक 24 फरवरी,2008 द्वारा यह आदेश किया था कि भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के पदों का पदनाम और वेतनमान वही होगा जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का है। इसके अनुपालन हेतु राजभाषा विभाग के पूर्व सचिवों ने भी आपको विगत में अर्ध शासकीय पत्र लिखे हैं। राजभाषा विभाग ने आदेश सं. 16/24/2018-रा.भा. (सेवा) दिनांक 11.02.2019 द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक पदों का नामकरण क्रमशः कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में किया है।

मैं आपकी अति आभारी रहूंगी यदि आप अपने मंत्रालय/विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों के पदनाम को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पदनाम के समान करने के व्यय विभाग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करेंगे तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

सादर,

भवदीया,

अ. मित्रा

(अनुराधा मित्रा)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।